

प्रेस नोट 30.04.19

1.दिनांक 29.04.19 को वादी श्री पवन पाण्डेय पुत्र सत्य नरायन पाण्डेय निवासी सूखापुर थाना पूराकलन्दर, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि तूमे वर्मा पुत्र रामतेज निवासी सूखापुर थाना पूराकलन्दर, अयोध्या आदि 03 नफर खेत बटवारे के संबंध मे बातचीत के दौरान अभिगण द्वारा वादी व वादी के भतीजे को मारना पीटना, गाली व जान माल की धमकी देना। जिसके सम्बन्ध में थाना पूराकलन्दर में मु0अ0सं0 205/19 धारा 323, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

2.दिनांक 29.04.19 को वादी उ0नि0 श्री मंजीत सिंह थाना गोसाईगंज, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वीरेन्द्र पुत्र भगल प्रसाद निवासी हैदरपुर थाना महाराजगंज, अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना गोसाईगंज में मु0अ0सं0 141/19 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

3.दिनांक 29.04.19 को वादी उ0नि0 श्री राम बचन राम थाना को0बीकापुर, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि लवकुश पुत्र प्रेम सागर निवासी दराबगंज थाना को0बीकापुर, अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना को0बीकापुर में मु0अ0सं0 262/19 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

4.दिनांक 29.04.19 को वादी उ0नि0 श्री थीरेन्द्र कुमार आजाद थाना को0बीकापुर, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि बरखू पुत्र पांचू निवासी बछरामपुर थाना को0बीकापुर, अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना को0बीकापुर में मु0अ0सं0 263/19 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

5.दिनांक 29.04.19 को वादी श्री राम लाल पुत्र स्व0 श्यामलाल निवासी प्रतापपुर उर्फ बरहूपुर थाना को0बीकापुर, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या यूपी 42 एक्यू 0197 का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के पिता को टक्कर मारकर घायल कर देना जिनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो जाना। जिसके सम्बन्ध में थाना को0बीकापुर में मु0अ0सं0 264/19 धारा 279, 338, 304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

6.दिनांक 29.04.19 को वादी उ0नि0 श्री मो0 यासीन थाना हैदरगंज, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि
1. सालिक राम निषाद पुत्र अयोध्या निषाद
2. हरिहर निषाद पुत्र अयोध्या निषाद
3. शिवराम निषाद पुत्र राम अजोर निवासीगण भैरोपुर टिकरा थाना हैदरगंज, अयोध्या अभियुक्तगण के कब्जे से 10-10 लीटर कुल 30 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना हैदरगंज में मु0अ0सं0 113/19 114/19 115/19 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

7.दिनांक 29.04.19 को वादी उ0नि0 श्री राजेश कुमार थाना कुमारगंज, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि धर्मेन्द्र सिंह पुत्र शेर बहादुर सिंह निवासी जोरियम थाना कुमारगंज, अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना कुमारगंज में मु0अ0सं0 91/19 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

8.दिनांक 29.04.19 को वादी उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र शुक्ला थाना कुमारगंज, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि
1. राजकुमार पुत्र ब्रम्हा
2. कांशीराम पुत्र राम सुन्दर निवासीगण सराय धनेठी थाना कुमारगंज, अयोध्या अभियुक्तगण के कब्जे से 15-15 लीटर कुल 30 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना कुमारगंज में मु0अ0सं0 92/19 व 93/19 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया ।